

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल । नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर।

Page No. : 62

Vol. No. : 33

Receipt No. : 0704301530

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| जमशेदपुर वार्ड नं.-9 अ.क्षे.मानगो 16412 Budhu Ram Kumar | | |
| खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा (एकड़ में) |
| 135 | 1888 | 0 एकड़ 2.1 डिसमील 0 हेक्टर |

| | | |
|------------|-------------|------------------------|
| अराजी नकदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली |
|------------|-------------|------------------------|

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

| मांग बावत | सालाना | बकाया | | | | हाल (2018-2019) |
|------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|
| | | तीन वर्ष से ज्यादा | ३ रा वर्ष | २ रा वर्ष | १ ला वर्ष (2017-2018) | |
| माल (नकदी) | 21.00 | | | | 21.00 | 21.00 |
| गुजारी (भावली) | 5.25 | | | | 5.25 | 5.25 |
| सेस | 10.50 | | | | 10.50 | 10.50 |
| सूद | 10.50 | | | | 10.50 | 10.50 |
| मुतफरकात | 4.20 | | | | 4.20 | 4.20 |
| मीजान | 51.45 | | | | 51.45 | 51.45 |

तफसील अदायकारी

| अदायकारी बाबत | बकाया | | | | मोतालबा हाल (2018-2019) | फाजिल |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| | तीन वर्ष से ज्यादा | ३ रा वर्ष | २ रा वर्ष | १ ला वर्ष (2017-2018) | | |
| माल (नकदी) | | | | 21.00 | 21.00 | |
| गुजारी (भावली) | | | | 5.25 | 5.25 | |
| सेस | | | | 10.50 | 10.50 | |
| सूद | | | | 10.50 | 10.50 | |
| मुतफरकात | | | | 4.20 | 4.20 | |
| मीजान अदायकारी | | | | 51.45 | 51.45 | |

(१) मीजान कुल (लफजों में) : **One Hundred Two Rupees and Ninety Paise**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **102.90**तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **06-06-2018**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।